भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1512

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत

पीएम-ई बस सेवा-पीएसएम योजना

1512. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-ई बस सेवा-पीएमएस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति सहित सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के अंतर्गत राज्यों को आवंटित ई बसों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत स्थापित भुगतान सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा सहित कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कनवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) की भूमिका क्या है;

(ग) स्वीकृत बसों की तैनाती और परिचालन प्रारंभ करने के लिए निर्धारित समय-सीमा और योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली परिचालन सहायता की अवधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा चूक की स्थिति में बकाया राशि की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रत्यक्ष डेबिट अधिदेश तंत्र के परिचालन की समीक्षा की है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): (i) पीएसएम स्कीम को 38,000 अथवा उससे अधिक ई-बसों को स्कीम के अंतर्गत शामिल करने के उद्देश्य तथा ₹3,435.33 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ दिनांक 28.10.2024 को अधिसूचित किया गया था।

(ii) स्कीम के दिशा-निर्देश तथा एसओपी तत्पश्चात जारी की गई हैं।

(iii) वित्त वर्ष 2025-26 में पीएसएम निधि की स्थापना हेतु ₹500 करोड़ की प्रारंभिक राशि जारी की जा चुकी है।

(iv) आवंटित ई-बसों का राज्यवार विवरण संलग्नक पर विनिर्दिष्ट है।

(ख): पीएम ई-बस सेवा - भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम के अंतर्गत, सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत संचालित इलेक्ट्रिक बसों के परिचालकों को, सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में आश्वस्त करने के उद्देश्य से एक समर्पित भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएम) स्कीम की स्थापना की गई है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत एस्क्रो तंत्र तथा आवश्यकता पड़ने पर पीएसएम निधि से धनराशि जारी करने का प्रावधान किया गया है। तत्पश्चात संबंधित पीटीए से उक्त धनराशि की वसूली की जाएगी, जिसमें जहां भी लागू हो, प्रत्यक्ष डेबिट अधिदेश के माध्यम से वसूली का भी प्रावधान है।

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) को इस स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है, जो निधि के प्रबंधन एवं अभिलेख संधारण, अनुमोदित एसओपी के अनुसार प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान राशि जारी करने तथा स्कीम के अंतर्गत वसूली एवं निगरानी संबंधी व्यवस्थाओं का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है।

(ग): पीएम ई-बस सेवा स्कीम: भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम ई-बस सेवा स्कीम को दिनांक 16.08.2023 को अधिसूचित किया गया। स्कीम के तहत, मार्च 2027 तक शहरों में 'बिहाइंड-द-मीटर' विद्युत अवसंरचना के सृजन हेतु 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता तथा बस डिपो अवसंरचना के विकास/उन्नयन हेतु 60 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पीएम ई-बस सेवा स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सहभागी शहरों को बसों के परिचालन हेतु 10 वर्ष की अवधि अथवा मार्च 2037 तक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

संबंधित शहर तथा चयनित परिचालक के मध्य रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरांत तथा शहर के परिवहन प्राधिकरण द्वारा डिपो अवसंरचना की तैयारी सुनिश्चित किए जाने की शर्त पर, बसों की आपूर्ति 24 सप्ताह के भीतर प्रारंभ कर दी जाएगी।

पीएम ई-ड्राइव स्कीमः भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा पीएम ई-ड्राइव स्कीम को दिनांक 29.09.2024 को अधिसूचित किया गया, जिसे दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2028 तक क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना का कुल परिव्यय ₹4,391 करोड़ है, जिसके अंतर्गत पात्र शहरों में 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन हेतु पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

संबंधित शहर तथा चयनित परिचालक के मध्य रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरांत तथा शहर के परिवहन प्राधिकरण द्वारा डिपो अवसंरचना की तैयारी सुनिश्चित किए जाने की शर्त पर, बसों की आपूर्ति 24 सप्ताह के भीतर प्रारंभ कर दी जाएगी।

पीएसएम स्कीम के अंतर्गत परिचालित प्रत्येक बस के लिए अधिकतम 12 वर्ष की अवधि तक भुगतान सुरक्षा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) एवं (ङ): पीएसएम स्कीम के अंतर्गत यदि पीटीए द्वारा भुगतान में चूक के कारण पीएसएम निधि से धनराशि जारी की जाती है, तो संबंधित पीटीए द्वारा उक्त धनराशि का पुनर्भुगतान, विलंब भुगतान अधिभार सहित, धनराशि जारी किए जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर किया जाना अपेक्षित है।

यदि संबंधित पीटीए निर्धारित अवधि के भीतर पुनर्भुगतान करने में विफल रहता है, तो एमएचआई आरबीआई से डीडीएम लागू करने का अनुरोध करेगा। तथापि, विधानमंडल रहित सहभागी संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में धनराशि की वसूली गृह मंत्रालय (एमएचए) के माध्यम से की जाएगी।

दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, सहभागी 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को प्रत्यक्ष डेबिट अधिदेश (डीडीएम) प्रस्तुत किया जा चुका है तथा विधानमंडल रहित 4 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी गई है।

*****

संलग्नक - दिनांक 22.07.2026 तक आवंटित बसें

क्रम सं.	राज्य/यूटी	बसों की संख्या			
		पीएम ई-ड्राईव (एमएचआई)	पीएम ई-बस सेवा (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)	अन्य	कुल
1	गुजरात	1,800	750	25	2,575
2	कार्नाटक	4,500	750		5,250
3	महाराष्ट्र	2,500	1,609		4,109
4	तेलंगाना	2,200	151		2,351
5	दिल्ली	2,800	-	3,330	6,130
6	आंध्र प्रेदश	-	1,050		1,050
7	मध्य प्रदेश	-	972		972
8	मेघालय	-	55		55
9	उड़ीसा	-	400		400
10	पंजाब	-	447		447
11	पुडुचेरी	-	75		75
12	राजस्थान	-	1,150		1,150
13	जम्मू और कश्मीर	-	200		200
14	असम	-	100		100
15	उत्तराखंड	-	137		137
16	मणिपुर	-	50		50
17	अरुणांचल प्रदेश	-	50		50
18	गोवा	-	50		50
19	हरियाणा	-	450	200	650
20	बिहार	-	400		400
21	छतीसगढ़	-	240		240
22	केरल	-	293		293
23	हिमाचल प्रदेश	-	50		50
24	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दिऊ	-	50		50
25	चंडीगढ़	-	428		428
26	लद्दाख	-	48		48
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	45		45
	कुल	**13,800**	**10,000**	**3,555**	**27,355**